राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/ 20987-21177 दिनांक :– 12.04.2017

1. **आयुक्त, नगर निगम समस्त।**
2. **आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।**
3. **अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।**

विषय :– समाचार पत्रों मे प्रकाशित होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओ (NIB) मे Unique Bid Number (UBN) का अंकन अनिवार्य किए जाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग:– सयुक्त शासन सचिव, वित्त (G&T) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ मे लेख है, कि संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा उनके परिपत्र संख्या 01/2017 दिनांक 31.03.2017 संलग्न द्वारा सभी उपापन संस्था द्वारा जारी की जाने वाली बोली आमंत्रण सूचना एवं बोली दस्तावेज का प्रथम प्रकाशन राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अध्यधीन स्थापित एवं संधारित राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर किया जाना बाध्यकारी है।

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 8 के प्रवधानानुसार राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली दस्तावेज के प्रकाशन किए जाने के तुरन्त पश्चात् पोर्टल द्वारा प्रत्येक बिड को एक 16 अंक का Unique Bid Number (UBN) आवंटित किया जाता है, जिसका उपयोग उपापन के दौरान एवं पश्चात् उपापन संस्था, बिडर्स एवं आमजन द्वारा Tracking हेतु किया जाता है।

वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15 अप्रेल, 2017 से समाचार पत्रो मे प्रकाशति होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओ मे उक्त Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य किया गया है।

अतः निर्देश दिये जाते है, कि वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार दिनांक 15 अप्रैल, 2017 से समाचार पत्रो मे प्रकाशति होने वाली बोली आमंत्रण सूचनाओ मे उक्त Unique Bid Number (UBN) का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 17/ 21178-189 दिनांक :– 12.04.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (G&D) विभाग, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।
7. प्रोग्रामर – विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता